



मण्डलीय-संस्कृत-प्रतियोगिता (वर्ष 2019-2020)

विद्यालयस्तरीय षड्दिवसीय प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं विवरणिका

संस्कृत-श्लोक-संगीत-प्रतियोगिता के नियम (विद्यालय-स्तरीय)

1. यह प्रतियोगिता केवल छात्राओं के लिए है।
2. प्रत्येक प्रतिभागी विद्यालय से 6 (छः) छात्राओं का एक दल ही सम्मिलित हो सकता है। छः से कम या अधिक प्रतिभागी छात्राओं का दल मान्य नहीं होगा।
3. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्राएं केवल सफेद कमीज-सलवार/सफेद कमीज-स्कर्ट धारण कर ही सम्मिलित होंगे। टोपी, जैकेट एवं रंगीन दुपट्टे आदि का प्रयोग पूर्णरूप से वर्जित होगा।
4. प्रतियोगिता में प्रस्तुति के लिए प्रतिभागी दलों को अधिकतम 07 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
5. प्रतियोगिता में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर प्रतिभागी दलों हेतु पुरस्कार का निर्धारण किया गया है-

क्र.सं.	प्रतिभागी दलों पर	पुरस्कारों की संख्या	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रतिभागिता
i.	1 से 05 प्रतिभागी दलों पर	1	1	शेष
ii.	1 से 07 प्रतिभागी दलों पर	2	1	शेष
iii.	1 से 10 प्रतिभागी दलों पर	3	1	शेष
iv.	1 से 15 प्रतिभागी दलों पर	4	1	शेष
v.	1 से 20 प्रतिभागी दलों पर	5	2	शेष
vi.	1 से 25 प्रतिभागी दलों पर	5	3	शेष

6. इसके बाद प्रत्येक 1 से 5 प्रतिभागी दलों के बढ़ने पर 1 प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रदान किया जायेगा। शेष प्रतिभागी दलों को प्रतिभागिता राशि प्रदान की जायेगी।
7. इस प्रतियोगिता में मण्डल स्तर पर निम्न पुरस्कार होंगे, जो नियम क्रम संख्या 5 के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार रु.3000/-, द्वितीय पुरस्कार रु.2400/-, तृतीय पुरस्कार रु.1800/-, चतुर्थ पुरस्कार रु.1200/-, पंचम पुरस्कार रु.900/- एवं प्रोत्साहन पुरस्कार रु.600/- तथा प्रतिभागिता राशि रु.300/- (प्रत्येक अपुरस्कृत प्रतिभागी दल के लिए) प्रदान किये जायेंगे।
8. इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्राओं को ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
9. यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को न देकर दल को प्रदान किये जायेंगे।
10. वाद्य-यन्त्रों में हारमोनियम व तबला अथवा ढोलक का प्रयोग ही मान्य है। अन्य किसी भी वाद्य-यन्त्र को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
11. श्लोक संगीत प्रतियोगिता में स्वर, लय, प्रस्तुतीकरण, शुद्धोच्चारण एवं कण्ठस्थीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रतियोगिता के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे।
12. प्रतियोगिता के लिए अधोलिखित श्लोकों का चयन किया गया है, जिनकी मुद्रित प्रतियाँ मण्डल-प्रतियोगिता-संयोजकों के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेंगी। श्लोकों का कण्ठस्थ होना आवश्यक है।
13. निर्णयकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. पुरस्कार राशि चैक के माध्यम से प्रदान की जायेगी, अतः प्रतिभागियों का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।

श्लोक-संगीत-प्रतियोगिता (वर्ष 2019–2020) हेतु पद्ध

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ?

सखि, पतन्तमयि, पश्य पतञ्जन्दीपे दीपितदेहम् !

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ? ॥1॥

कथं वसन्तागमे विटपिनः पातयन्ति पर्णानि,

दर्शयन्ति किन्ते न दिगन्तं स्वीयवसन्तस्नेहम्!

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ? ॥2॥

ज्वलदङ्गारं खादति किं नु विहगचञ्चुरश्कोरः;

दीपयत्यसौ किं प्रियसखि! स्नेहासव-गौरवगेहम् ?

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ? ॥3॥

ललितललामकलितगीतं स्फीतमधुमोहनभावम् ;

देहदहनमपि प्रेमपावके वक्ति वीतसन्देहम्।

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ? ॥4॥

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ?

सखि, पतन्तमयि, पश्य पतञ्जन्दीपे दीपितदेहम्।

स्नेहे को न दहति निजदेहम् ? ॥5॥

रचयिता :- श्री जानकी वल्लभ शास्त्री

संस्कृत-श्लोकोच्चारण-प्रतियोगिता के नियम (विद्यालय-स्तरीय)

1. यह प्रतियोगिता केवल छात्रों के लिए है।
2. प्रत्येक प्रतिभागी विद्यालय से 6 (छ:) छात्रों का एक दल ही सम्मिलित हो सकता है। छ: से कम या अधिक प्रतियोगी छात्रों का दल मान्य नहीं होगा।
3. इस प्रतियोगिता में केवल सफेद कुर्ता-पाजामा/सफेद पैंट-कमीज धारण कर ही प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। टोपी, जैकेट आदि का प्रयोग पूर्णरूप से वर्जित होगा।
4. प्रतियोगिता में प्रस्तुति के लिए प्रतिभागी दलों को अधिकतम 07 मिनट का अधिकतम समय प्रदान किया जायेगा।
5. प्रतियोगिता में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर प्रतिभागी दलों हेतु पुरस्कार का निर्धारण किया गया है-

क्र.सं.	प्रतिभागी दलों पर	पुरस्कारों की संख्या	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रतिभागिता
i.	1 से 05 प्रतिभागी दलों पर	1	1	शेष
ii.	1 से 07 प्रतिभागी दलों पर	2	1	शेष
iii.	1 से 10 प्रतिभागी दलों पर	3	1	शेष
iv.	1 से 15 प्रतिभागी दलों पर	4	1	शेष
v.	1 से 20 प्रतिभागी दलों पर	5	2	शेष
vi.	1 से 25 प्रतिभागी दलों पर	5	3	शेष

6. इसके बाद प्रत्येक 1 से 5 प्रतिभागी दलों के बढ़ने पर 1 प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रदान किया जायेगा। शेष प्रतिभागी दलों को प्रतिभागिता राशि प्रदान की जायेगी।
7. इस प्रतियोगिता में मण्डल स्तर पर निम्न पुरस्कार होंगे, जो नियम क्रम संख्या 5 के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार रु.3000/-, द्वितीय पुरस्कार रु.2400/-, तृतीय पुरस्कार रु.1800/-, चतुर्थ पुरस्कार रु.1200/-, पंचम पुरस्कार रु.900/- एवं प्रोत्साहन पुरस्कार रु.600/- तथा प्रतिभागिता राशि रु.300/- (प्रत्येक अपुरस्कृत प्रतिभागी दल के लिए) प्रदान किये जायेंगे।

8. इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्रों को ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
9. यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को न देकर दल को प्रदान किये जायेंगे।
10. श्लोकोच्चारण-प्रतियोगिता में वाद्य-यन्त्रों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
11. श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में स्वर, लय, प्रस्तुतीकरण, शुद्धोच्चारण एवं कण्ठस्थीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रतियोगिता के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे।
12. प्रतियोगिता के लिए अधोलिखित श्लोकों का चयन किया गया है, जिनकी मुद्रित प्रतियाँ मण्डल-प्रतियोगिता-संयोजकों के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेंगी। श्लोकों का कण्ठस्थ होना आवश्यक है।
13. निर्णयकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. पुरस्कार राशि चैक के माध्यम से प्रदान की जायेगी, अतः प्रतिभागियों का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।

श्लोकोच्चारण-प्रतियोगिता (वर्ष 2019–2020) हेतु पद्धति

अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं
 स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः ।
 सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्लु
 हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥1॥
 भवन्ति नप्रास्तरवः फलोद्गमै-
 नवाम्बुभूमिविलम्बिनो धनाः ।
 अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः
 स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥2॥

तकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः
 नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।
 धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां
 महाजनो येन गतः स पन्था ॥3॥

श्रोतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन
 दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन ।
 विभाति कायः करुणापराणां
 परोपकारैर्न तु चन्दनेन ॥4॥

वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये,
 महार्णवे पर्वतमस्तके वा।
 सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा,
 रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥5॥

- सुभाषित संग्रह से

संस्कृत-काव्यालि-प्रतियोगिता के नियम (विद्यालय-स्तरीय)

1. प्रत्येक प्रतिभागी विद्यालय से 6 (छ:) छात्र/छात्राओं का एक दल ही सम्मिलित हो सकता है। छ: से कम या अधिक प्रतिभागी छात्र/छात्राओं का दल मान्य नहीं होगा। वाद्य-यन्त्र वादक इनके अतिरिक्त होंगे।
2. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र/छात्राएं केवल सफेद कुर्ता-पाजामा/सफेद पैंट-कमीज/ सफेद कमीज-सलवार/सफेद कमीज-स्कर्ट धारण कर ही सम्मिलित होंगे। टोपी, जैकेट एवं रंगीन दुपट्टे आदि का प्रयोग पूर्णरूप से वर्जित होगा।
3. प्रतियोगिता में प्रस्तुति के लिए प्रतिभागी दलों को अधिकतम 08 से 10 मिनट का अधिकतम समय प्रदान किया जायेगा।

4. प्रतियोगिता में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर प्रतिभागी दलों हेतु पुरस्कार का निर्धारण किया गया है-

क्र.सं.	प्रतिभागी दलों पर	पुरस्कारों की संख्या	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रतिभागिता
i.	1 से 05 प्रतिभागी दलों पर	1	1	शेष
ii.	1 से 07 प्रतिभागी दलों पर	2	1	शेष
iii.	1 से 10 प्रतिभागी दलों पर	3	1	शेष
iv.	1 से 15 प्रतिभागी दलों पर	4	1	शेष
v.	1 से 20 प्रतिभागी दलों पर	5	2	शेष
vi.	1 से 25 प्रतिभागी दलों पर	5	3	शेष

5. इसके बाद प्रत्येक 1 से 5 प्रतिभागी दलों के बढ़ने पर 1 प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रदान किया जायेगा। शेष प्रतिभागी दलों को प्रतिभागिता राशि प्रदान की जायेगी।
6. इस प्रतियोगिता में मण्डल स्तर पर निम्न पुरस्कार होंगे, जो नियम क्रम संख्या 4 के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार रु.3000/-, द्वितीय पुरस्कार रु.2400/-, तृतीय पुरस्कार रु.1800/-, चतुर्थ पुरस्कार रु.1200/-, पंचम पुरस्कार रु.900/- एवं प्रोत्साहन पुरस्कार रु.600/- तथा प्रतिभागिता राशि रु.300/- (प्रत्येक अपुरस्कृत प्रतिभागी दल के लिए) प्रदान किये जायेंगे।
7. इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
8. यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को न देकर दल को प्रदान किये जायेंगे।
9. वाद्य-यन्त्रों में हारमोनियम व तबला अथवा ढोलक का प्रयोग मान्य होगा । अन्य वाद्य-यन्त्र सर्वथा वर्जित होंगे।
10. काव्यालि प्रतियोगिता में स्वर, लय, प्रस्तुतीकरण, शुद्धोच्चारण एवं कण्ठस्थीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रतियोगिता के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे।
11. प्रतियोगिता के लिए अधोलिखित श्लोकों का चयन किया गया है, जिनकी मुद्रित प्रतियाँ मण्डल-प्रतियोगिता-संयोजकों के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेंगी। श्लोकों का कण्ठस्थ होना आवश्यक है।
12. निर्णयकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. पुरस्कार राशि चैक के माध्यम से प्रदान की जायेगी, अतः प्रतिभागियों का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।

काव्याली-प्रतियोगिता (वर्ष 2019–2020) हेतु पद्ध

नवीना वेदना कचिद्वियोगे हन्त जातेयम् ।

अलं मे वैद्य! विश्वासैरिहाऽऽयासो वृथा तेऽयम् ।

मुहुर्मे मानसे सोयं समिन्दे पावको बाढम्।

हिमानीवारिधाराभिः क्षणं ज्वाला न यातेयम् ॥1॥ अलं मे वैद्य!

अहो मे चापसन्धायिन्मुद्धा किं वा समाश्वासः? :

उरो मे पश्य मध्नातीषुकोटिस्ते निखातेयम् ॥2॥ अलं मे वैद्य!

अहो जाने नवीनेयं प्रथा मे सौख्यजिज्ञासोः ।

वितन्वानेन मे सान्त्वं निशातेषुर्निखातेयम् ॥3॥ अलं मे वैद्य!

सखे संलापसौख्यं मे विहिंसीर्मा, निशा याता।

न जाने कुत्र संयाता पुनः पान्थः प्रभातेयम् ॥4॥ अलं मे वैद्य!

न कम्पं यामि, नो दूये, न रुन्धे, हन्यमानोऽहम्।

परं निस्त्रिंश निस्त्रिंशस्य नो धारा निशातेयम् ॥5॥ अलं मे वैद्य!

प्रतप्यन्ते प्रकम्पन्ते ऽथ के चिह्नं नायन्ते।

गता ते चञ्चलाऽपाङ्गे ! यतो दृष्टिर्निशातेयम् ॥6॥ अलं मे वैद्य!

रचयिता :- श्री बच्चू लाल अवस्थी 'ज्ञान'

संस्कृत वाद-विवाद-प्रतियोगिता के नियम (विद्यालय-स्तरीय)

1. इस प्रतियोगिता में प्रस्तुत विषय पर पक्ष-विपक्ष के रूप में प्रत्येक विद्यालय से दो छात्र/छात्राओं का एक दल ही सम्मिलित हो सकता है।
2. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी केवल सफेद कुर्ता-पाजामा/सफेद पैंट-कमीज/ सफेद सलवार-कमीज/सफेद कमीज-स्कर्ट धारण कर ही सम्मिलित होंगे।
3. इस वर्ष वाद-विवाद का विषय “पाठ्यक्रमे कोऽपि विषयः अनिवार्यः न स्यात्” होगा।
4. प्रतियोगिता में प्रस्तुति हेतु प्रतिभागी पक्ष-विपक्ष को अधिकतम 5—5 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
5. प्रतियोगिता में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर प्रतिभागी दलों हेतु पुरस्कार का निर्धारण किया गया है-

क्र.सं.	प्रतिभागी दलों पर	पुरस्कारों की संख्या	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रतिभागिता
i.	1 से 05 प्रतिभागी दलों पर	1	1	शेष
ii.	1 से 07 प्रतिभागी दलों पर	2	1	शेष
iii.	1 से 10 प्रतिभागी दलों पर	3	1	शेष
iv.	1 से 15 प्रतिभागी दलों पर	4	1	शेष
v.	1 से 20 प्रतिभागी दलों पर	5	2	शेष
vi.	1 से 25 प्रतिभागी दलों पर	5	3	शेष

6. इसके बाद प्रत्येक 1 से 5 प्रतिभागी दलों के बढ़ने पर 1 प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रदान किया जायेगा। शेष प्रतिभागी दलों को प्रतिभागिता राशि प्रदान की जायेंगी।
7. इस प्रतियोगिता में मण्डल स्तर पर निम्न पुरस्कार होंगे, जो नियम क्रम संख्या 5 के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार रु.4000/-, द्वितीय पुरस्कार रु.3600/-, तृतीय पुरस्कार रु.3000/-, चतुर्थ पुरस्कार रु.2400/-, पंचम पुरस्कार रु.2000/- एवं प्रोत्साहन पुरस्कार रु.1000/- तथा प्रतिभागिता राशि रु.200/- (प्रत्येक अपुरस्कृत प्रतिभागी दल के लिए) प्रदान किये जायेंगे।
8. इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
9. यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को न देकर दल को प्रदान किये जायेंगे।
10. वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाव, भाषा, शुद्धोच्चारण, कण्ठस्थीकरण एवं विषयवस्तु पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रतियोगिता में 50 अंक पक्ष तथा 50 अंक विपक्ष के लिए निर्धारित होंगे। पुरस्कार प्रत्येक दल के पक्ष एवं विपक्ष के प्रतिभागियों को प्राप्त अंकों के सम्पूर्ण योग के आधार पर प्रदान किया जायेगा।
11. वाद-विवाद प्रतियोगिता के विषय का प्रस्तुतीकरण संस्कृत भाषा में ही होगा।
12. निर्णयकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. पुरस्कार राशि चैक के माध्यम से प्रदान की जायेगी, अतः प्रतिभागियों का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।

संस्कृत-भाषण-प्रतियोगिता के नियम (विद्यालय-स्तरीय)

1. प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से केवल एक छात्र/छात्रा ही सम्मिलित हो सकता/सकती है।
2. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी केवल सफेद कुर्ता-पाजामा/सफेद पैंट-कमीज/सफेद सलवार-कमीज/सफेद कमीज-स्कर्ट धारण कर ही सम्मिलित होंगे।
3. भाषण का विषय “आत्मानुशासनस्य महत्त्वम्” होगा।
4. प्रतियोगिता में प्रस्तुति हेतु प्रतिभागी को अधिकतम 5 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
5. प्रतियोगिता में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर प्रतिभागियों हेतु पुरस्कार का निर्धारण किया गया है-

क्र.सं.	प्रतिभागियों पर	पुरस्कारों की संख्या	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रतिभागिता
i.	1 से 05 प्रतिभागियों पर	1	1	शेष
ii.	1 से 07 प्रतिभागियों पर	2	1	शेष
iii.	1 से 10 प्रतिभागियों पर	3	1	शेष
iv.	1 से 15 प्रतिभागियों पर	4	1	शेष
v.	1 से 20 प्रतिभागियों पर	5	2	शेष
vi.	1 से 25 प्रतिभागियों पर	5	3	शेष

6. इसके बाद प्रत्येक 1 से 5 प्रतिभागियों के बढ़ने पर 1 प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रदान किया जायेगा । शेष प्रतिभागियों को प्रतिभागिता राशि प्रदान की जायेंगी।
7. इस प्रतियोगिता में मण्डल स्तर पर निम्न पुरस्कार होंगे, जो नियम क्रम संख्या 5 के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार रु.2000/-, द्वितीय पुरस्कार रु.1800/-, तृतीय पुरस्कार रु.1500/-, चतुर्थ पुरस्कार रु.1200/-, पंचम पुरस्कार रु.1000/- एवं प्रोत्साहन पुरस्कार रु.500/- तथा प्रतिभागिता राशि रु.100/- (प्रत्येक अपुरस्कृत प्रतिभागी दल के लिए) प्रदान किये जायेंगे।
8. इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
9. भाषण प्रतियोगिता में भाव, भाषा, शुद्धोच्चारण, कण्ठस्थीकरण एवं विषयवस्तु पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रतियोगिता के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे।
10. भाषण प्रतियोगिता के विषय का प्रस्तुतीकरण संस्कृत भाषा में ही होगा।
11. निर्णयकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. पुरस्कार राशि चैक के माध्यम से प्रदान की जायेगी, अतः प्रतिभागियों का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।

एकल-श्लोक-संगीत-प्रतियोगिता के नियम (विद्यालय-स्तरीय)

1. इस प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से केवल एक छात्र/छात्रा ही सम्मिलित हो सकता/सकती है।
2. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र/छात्रा प्राचीन अथवा वर्तमान साहित्य के किसी भी भाग से श्लोकों को प्रस्तुत कर सकता/सकती है, लेकिन ये श्लोक अश्लील, अमर्यादित एवं राष्ट्र-विरोधी नहीं होने चाहिए।
3. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी केवल सफेद कूर्ता-पाजामा/सफेद पैंट-कमीज/ सफेद सलवार-कमीज/सफेद कमीज-स्कर्ट धारण कर ही सम्मिलित होंगे।
4. प्रतियोगिता में प्रस्तुति हेतु प्रतिभागी को अधिकतम 5 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
5. प्रतियोगिता में निम्नलिखित अनुपात के आधार पर प्रतिभागियों हेतु पुरस्कार का निर्धारण किया गया है-

क्र.सं.	प्रतिभागियों पर	पुरस्कारों की संख्या	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रतिभागिता
i.	1 से 05 प्रतिभागियों पर	1	1	शेष
ii.	1 से 07 प्रतिभागियों पर	2	1	शेष
iii.	1 से 10 प्रतिभागियों पर	3	1	शेष
iv.	1 से 15 प्रतिभागियों पर	4	1	शेष
v.	1 से 20 प्रतिभागियों पर	5	2	शेष
vi.	1 से 25 प्रतिभागियों पर	5	3	शेष

6. इसके बाद प्रत्येक 1 से 5 प्रतिभागियों के बढ़ने पर 1 प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रदान किया जायेगा । शेष प्रतिभागियों को प्रतिभागिता राशि प्रदान की जायेंगी।
7. इस प्रतियोगिता में मण्डल स्तर पर निम्न पुरस्कार होंगे, जो नियम क्रम संख्या 5 के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार रु.2000/-, द्वितीय पुरस्कार रु.1800/-, तृतीय पुरस्कार रु.1500/-, चतुर्थ पुरस्कार रु.1200/-, पंचम पुरस्कार रु.1000/- एवं प्रोत्साहन पुरस्कार रु.500/- तथा प्रतिभागिता राशि रु.100/- (प्रत्येक अपुरस्कृत प्रतिभागी दल के लिए) प्रदान किये जायेंगे।

8. इस प्रतियोगिता में पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।
9. प्रतिभागी स्वयं निर्धारित वाद्य-यन्त्रों में हारमोनियम अथवा तबला या ढोलक का भी प्रयोग कर सकता/सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति से वाद्य-यन्त्र नहीं बजवाया जा सकता।
10. एकल श्लोक संगीत प्रतियोगिता में स्वर, लय, प्रस्तुतीकरण, शुद्धोच्चारण एवं कण्ठस्थीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रतियोगिता के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे।
11. इस एकल श्लोक संगीत प्रतियोगिता में वर्ष 2019–2020 की संस्कृत प्रतियोगिताओं के लिये काव्यालि, श्लोक संगीत एवं श्लोकोच्चारण हेतु चयनित पद्यों की प्रस्तुति सर्वथा अमान्य होगी।
12. निर्णायकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. पुरस्कार राशि चैक के माध्यम से प्रदान की जायेगी, अतः प्रतिभागियों का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।

सामान्य निर्देश (वर्ष 2019–2020)

1. दिल्ली के राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त (पब्लिक स्कूल), केन्द्रीय एवं नगरपालिका-विद्यालयों की कक्षा छठी से बारहवीं तक के छात्र/छात्राएँ उक्त प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं।
2. एक प्रतिभागी एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है।
3. विद्यालयों से श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में केवल छात्र तथा श्लोक संगीत प्रतियोगिता में केवल छात्राएँ भाग ले सकती हैं।
4. सभी प्रतियोगिताओं में यथोचित निर्धारित वेशभूषा (सफेद कुर्ता-पाजामा/ सफेद पैंट-कमीज/ सफेद सलवार-कमीज/ सफेद-स्कर्ट कमीज) ही धारण कर छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हों। निर्धारित वेशभूषा के अतिरिक्त विद्यालयीय वेशभूषा तथा अन्य वेशभूषा सर्वथा वर्जित होगी। निर्धारित वेशभूषा पहनने पर भी यदि किसी भी प्रकार का विद्यालय-संकेत (बैल्ट, बैज, लोगो आदि) धारण किया जाता है तो उसे प्रतियोगिता के नियम का उल्लंघन ही माना जायेगा।
5. प्रतियोगिता के निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर प्रतिभागी विद्यालय पहुँचने का कष्ट करें। जिससे मण्डलीय संयोजक को असुविधा न हो।
6. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व ही सम्मिलित होने की सूचना संयोजक को देनी आवश्यक है तभी प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
7. यदि किसी प्रतियोगिता में प्रतिभागी दलों की संख्या 50 से अधिक होती है तो प्रतियोगिता का आयोजन संयोजक की अनुमति से प्रतियोगिता दो दिनों तक आयोजित की जायेगी।
8. निर्णायकों का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। इसे किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
9. सभी मण्डलीय संयोजकों से निवेदन है कि अपने मण्डल के सभी विद्यालयों को अवश्य सूचित करने का कष्ट करें।
10. इस प्रतियोगिता-नियमावली के साथ संलग्न ‘संस्कृत प्रतियोगिता प्रविष्टि-पत्र’ की छाया-प्रति को प्रविष्टि पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
11. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्राप्त करने वालों के अतिरिक्त प्रत्येक अपुरस्कृत दल/प्रतिभागी को प्रतिभागिता राशि उस प्रतियोगिता के नियमानुसार दी जायेगी।

₹०/-

डॉ० जीतराम भट्ट

सचिव

दिल्ली संस्कृत अकादमी



मण्डलीय-संस्कृत-प्रतियोगिता-प्रविष्टि-पत्र (वर्ष 2019-2020)

कृपया इस प्रपत्र को स्वच्छ अक्षरों में हिन्दी में ही भरें जिससे चैक एवं प्रमाण-पत्र बनाने में असुविधा न हो।

1. प्रतियोगिता का नाम :-
2. विद्यालय का नाम एवं पूरा पता पिन कोड सहित :-
पिन कोड :-
3. प्रतिनिधि अध्यापक/अध्यापिका का नाम एवं पदनाम :-
4. प्रतिनिधि अध्यापक/अध्यापिका का दूरभाष :- कार्यालय :-..... मोबाइल नं.* :-
ई.मेल* :-
5. प्रतिभागी छात्र/छात्राओं का विवरण :- (कृपया इस प्रपत्र को स्वच्छ अक्षरों में हिन्दी में ही भरें जिससे चैक बनाने में असुविधा न हो।)

क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम (चैक हेतु)	घर का पता	मोबाइल नं.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

दिनांक :-.....

विद्यालय-प्रमुख के हस्ताक्षर
 विद्यालय की मोहर

नोट :- यह प्रविष्टि पत्र प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही मण्डल-संयोजक को भर कर दिया जायेगा।